का॰ज्ञा॰ सं॰ II/20015/45/87 रा॰भा॰ (क-2), दिनांक 4.5.1989

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बारे में स्पष्टीकरण।

हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के लिए इस विभाग के 11 मार्च, 1988 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन के साथ संशोधित व्यवस्था की जानकारी सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई थी। गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बारे में उस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन गैर-सरकारी सदस्यों में दो संसद सदस्य लोक सभा से, दो राज्य सभा से तथा दो प्रतिनिधि संसदीय राजभाषा समिति से होने चाहिएं। एक प्रतिनिधि किसी अखिल भारतीय हिन्दी स्वैच्छिक संगठन से और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का एक प्रतिनिधि भी सदस्य रखे जाने चाहिएं। उक्त कार्यालय ज्ञापन के साथ जो मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुलग्नक-2 में दिये गये थे उनमें यह भी कहा गया था कि राजभाषा विभाग की ओर से तीन व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है।

2. इस प्रकार से सलाहकार समितियों में विभिन्न गैर-सरकारी सदस्य निम्नरूप से रहेंगे:—

(1) लोक सभा के सदस्य	2
(2) राज्य सभा के सदस्य	2
(3) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य	2
(4) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का प्रतिनिधि	1
(5) अखिल भारतीय हिन्दी के प्रचार-प्रसार की स्वैच्छिक संस्था का प्रतिनिधि	1
(6) संबंधित विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले हिन्दी व राजभाषा के विद्वान	4
(7) गृह मंत्रालय द्वारा नामित कुल	3
कुल गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या	15

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने ऊपर उल्लिखित अनु॰ नं॰ 1 से 6 के ही सदस्यों के बारे में प्रस्ताव भेजा है। यदि प्रस्ताव इसके अनुरूप नहीं होगा तो उन्हें अपने प्रस्ताव को मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप करने के लिए तुरन्त वापस भेजा जाएगा।

4. ऐसा देखने में आया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग अपनी समितियों के गठन का प्रस्ताव तैयार करते समय 15 से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए इस विभाग को सहमति के लिए भेजते हैं। इन प्रस्तावों के साथ प्रस्तावित गैर-सरकारी व्यक्तियों के जीवनवृत भी संलग्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में इस विभाग को प्रस्तावित गैर-सरकारी व्यक्तियों के बारे में निर्णय लेने में और प्रस्तावों को सहमति देने में कठिनाई होती है।

5. अत: सभी मंत्रालय/विभाग कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि अपनी-अपनी हिन्दी सलाहकार समिति के प्रस्ताव इस विभाग को भेजते समय वे अपनी ओर से केवल 12 गैर-सरकारी व्यक्तियों के नामों की ही सूची भेजें। ऐसा करने से इस विभाग की ओर से तीन गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बाद कुल गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 15 तक सीमित करने में सहायता मिलेगी। मौजूदा आर्थिक परिस्थिति में मितव्ययिता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस सीमा का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। मंत्रालयों/विभागों से ये भी अनुरोध है कि वे अपनी समितियों के गठन/पुनर्गठन के प्रस्ताव इस विभाग को भेजते समय संसद सदस्यों और हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा बाकी प्रस्तावित गैर-सरकारी सदस्यों के जीवनवृत भी साथ में भेजा करें।